NDR AUTO COMPONENTS LIMITED

Corporate office: Plot No.1, Maruti Joint Venture Complex, Gurugram, Haryana-122015
CIN: L29304DL2019PLC347460 **Website:** www.ndrauto.com
Email id: contact@nacl.co.in **Phone No.**: 9643339870-74

30th May, 2021

BSE Limited Corporate Relationship Deptt. PJ Towers, 25th Floor, Dalal Street, Mumbai – 400 001 Code No: 543214	National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No.C/1, G-Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. Code No. NDRAUTO

SUB: Submission of Newspaper advertisements under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015

Dear Sir

Pursuant to the provision of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed copies of the audited financial results for the quarter/ year ended 31st March, 2021 which were duly approved in the meeting of the Board of Directors held on 26th May, 2021 republished in newspaper on 28th May, 2021. viz. Jansatta (Hindi newspaper).

Kindly take the same on your record.

Thanking You,
Yours Faithfully,
For **NDR Auto Components Limited**

NITASHA SINHA
Digitally signed by NITASHA SINHA
Date: 2021.05.30 23:55:41 +05'30'

Nitasha Sinha
Company Secretary
Membership No. 27439

Encl: a/a

ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के मामले की जांच करेगी विशेष समिति

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 मई

ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के मामले में परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक विशेष कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी हर मामले की जांच करेगी और जांच के आधार पर परिवारों को मुआवजा देना सुनिश्चित किया जा सकेगा। ऐसे परिवारों के लिए दिल्ली सरकार पहले ही 50 हजार रुपए के मुआवजे की घोषणा कर चुकी है। दिल्ली सरकार के मुताबिक यह 6 सदस्य वाली समिति होगी जिसमें डॉ नरेश कुमार, डॉ अमित कुमार, डॉ संजीव कुमार, डॉ सुरेंद्र कुमार, डॉ. एस.सी शुक्ला और डॉ. जेपी सिंह शामिल होंगे। आदेशों में बताया गया है कि समिति इस बाबत ऑन लाइन या बैठक के माध्यम से प्रतिवेदन स्वीकार करेगी और इसकी एक सप्ताह में एक से दो बैठक होंगी। ऐसे मामलों में यह कमेटी किसी भी प्रकार के दस्तावेज की जांच कर सकती है। तय प्रारूप के आधार पर ही इस कमेटी के पास अधिकतम पांच लाख रुपए तक का मुआवजा देने की शक्तियां होंगी। इस समिति से संबंधित रिपोर्ट सीधे प्रधान सचिव स्वास्थ्य के पास हर सप्ताह भेजी जाएगी।

आज होगी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 मई

कोरोनाकाल में हर सप्ताह एक और बंद की घोषणा के बाद अब शुक्रवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक होगी। संभावना जताई जा रही है कि कोरोना के मामले अब दिल्ली में कम हुए हैं और मौतों का आंकड़ा भी गिरा है। इस बैठक में दिल्ली को दी जाने वाली राहतों के मसविदे पर चर्चा की जा सकती है। वहीं सरकार ने कवक संक्रमण को महामारी भी घोषित कर दिया है। शुक्रवार को होने वाली इस बैठक में इस बीमारी पर भी चर्चा हो सकती है। खुद उपराज्यपाल दिल्ली के हालात की समीक्षा करेंगे और संबंधित विभागों से इस मामले में रिपोर्ट लेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्री और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य शामिल रहेंगे।

चाचा नेहरू अस्पताल बनेगा बच्चों के लिए कोविड अस्पताल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 मई।

कोरोना की तीसरी लहर के तहत बच्चों के प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर बच्चों के इलाज के इंतजाम किए जाने की जरूरत है। इसे देखते हुए चाचा नेहरू अस्पताल को बच्चों के लिए कोविड अस्पताल के तौर पर तैयार किया जाएगा। करीब 200 बिस्तरों वाले इस अस्पताल को पूरी तरह से कोरोना प्रभावित बच्चों के इलाज के केंद्र में तब्दील किया जाएगा। अस्पताल के प्रभारी चिकित्सानिदेशक डॉ बीएल शेरवाल ने यह जानकारी दी।

डॉ शेरवाल ने कहा कि हालांकि अभी तक कोरोना के तीसरी लहर में बच्चों के अधिक प्रभावित होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं लेकिन जिस तरह से दूसरी लहर में संक्रमण बढ़े हैं और लोगों के प्रभावित होने के मामलों में युवाओं की तादात बढ़ी है उसे देखते हुए बच्चों में संक्रमण के नंबर बढ़ने की आशंका है। लिहाजा चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय को पूरी तरह से कोविड अस्पताल में बदलने की योजना है। हमें न केवल बच्चों के लिए कोविड बिस्तरों का इंतजाम करना होगा बल्कि बड़ों के रुकने और जरूरत पड़ने पर उनके वहां इलाज के लिए भी इंतजाम करना होगा। उन्होंने कहा कि चूंकि बच्चों के अकेले भर्ती नहीं किया जा सकता उनके साथ उनके मां या पिता को भी अस्पताल में रुकना पड़ेगा। ऐसे में अगर वे कोरोना संक्रिमत हों तो वह दूसरे अस्पताल में भर्ती नहीं किए जा सकेंगे उन्हें भी यहीं रखना होगा।

डॉ शेरवाल ने यह भी कहा कि बच्चों के आइसीयू के लिए बाइपैप मशीन या वेंटीलेटर व बड़े आक्सीजन सांद्रक की बजाय हाइफ्लो नेजल ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होगी इसका इंतजाम करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि बड़ों के इलाज में तो दूसरे विभाग के डॉक्टर, डेंटिस्ट व छात्रों से भी मदद ली गई लेकिन बच्चों के मामले बड़ों से जटिल होते हैं इस लिए उनके लिए केवल बच्चों के ही डाक्टरों का इंतजाम व प्रशिक्षित नर्सों का इंतजाम करना होगा।

महत्त्वपूर्ण सूचना

सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि पूर्व में घोषित निम्नलिखित निरस्त रेलगाड़ियों की निरस्तीकरण अवधि को निम्न विवरण के अनुसार और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है:–

विशेष रेलगाड़ियों के निरस्तीकरण का विस्तार

रेलगाड़ी सं. एवं नाम	वर्तमान में निरस्तीकरण की अवधि	विस्तारित अवधि
02033/02034 कानपुर सेंट्रल–नई दिल्ली–कानपुर सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस विशेष	07.05.2021 से 31.05.2021	01.06.2021 से 30.06.2021
02179/02180 लखनऊ जं.–आगरा फोर्ट–लखनऊ जं. इंटरसिटी एक्सप्रेस विशेष	15.05.2021 से 31.05.2021	01.06.2021 से 30.06.2021

नोटः किसी भी जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 या भारतीय रेल की वेबसाइटः www.enquiry.indianrail.gov.in पर संपर्क करें

रेलमदद वेबसाइट देखें:- www.railmadad.indianrailways.gov.in
रेलमदद ऐप डाउनलोड करें
रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139
पर हमें फॉलो करें

उत्तर रेलवे
आपकी सुविधा – हमारा ध्येय
हमें www.nr.indianrailways.gov.in पर मिलें
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ
1144/21

एनडीआर ऑटो कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत. कार्यालयःलेवल–5, रेगस कैडी कॉमर्सियल टावर, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट एयरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037
CIN: L29304DL2019PLC347460
वेबसाइट: www.ndrauto.com, ईमेल: cs@ndrauto.com, फोन: +91 11 66544976

31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण

(प्रति शेयर डैटा छोड़कर रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष/अवधि	
		31.3.21 (अंकेक्षित)	31.12.20 (अनंकेक्षित)	31.3.20 (अनंकेक्षित)	31.03.21 (अंकेक्षित)	01.01.2019 से 31.03.2020 (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	5,448.26	3,339.13	1,799.95	12,242.87	10,580.17
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	371.07	386.37	26.40	956.83	99.50
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	371.07	386.37	26.40	956.83	99.50
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	254.70	286.41	18.75	694.13	166.59
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	273.87	281.55	(13.10)	698.76	142.48
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	594.63	594.63	594.63	594.63	594.63
7.	अन्य इक्विटी (आरक्षितों) अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	–	–	–	13,366.80	12,668.04
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/– प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (रु. में)					
	क) मूल (रु. में)	4.28	4.82	0.32	11.67	2.80
	ख) तरल (रु. में)	4.28	4.82	0.32	11.67	2.80

टिप्पणी:
क) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। तिमाही/वार्षिक स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाईट (www.ndrauto.com) तथा बीएसई की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा एनएसई (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।
ख) एनडीआर ऑटो कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड ("कम्पनी") को उक्त स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के नियम 3 तथा कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2016 तथा उसके बाद संबंधित संशोधन नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखामानक (इंड–एएस) के अनुसार तैयार किया गया है।
ग) उपरोक्त स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 26 मई, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के लिये रिपोर्ट किये गये उपर्युक्त आंकड़े प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित आंकड़े हैं और सीमित समीक्षा के अध्यधीन नहीं हैं।
घ) गत तिमाही के आंकड़े 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण वित्त वर्ष के परिप्रेक्ष्य में अंकेक्षित आंकड़ों तथा वित्त वर्ष की समाप्त तिमाही की तिथि अर्थात 31 दिसम्बर, 2020 तक के प्रकाशित अनंकेक्षित अब तक वर्ष के मध्य के संतुलनकारी आंकड़े हैं जो सीमित समीक्षा के अध्यधीन थे।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से
हस्ता/–
रजत भंडारी
अधिशासी निदेशक

स्थानः गुरुग्राम
तिथिः 26 मई, 2021

आइएमए ने बाबा रामदेव के खिलाफ की शिकायत

राजद्रोह समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली 27 मई।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एलोपैथी को लेकर दिए गए बाबा रामदेव के बयान के बाद उनका विरोध शुरू कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) ने गुरुवार को आइपी इस्टेट थाने में बाबा रामदेव के खिलाफ शिकायत दी। अपनी शिकायत में आइएमए ने बाबा रामदेव पर राजद्रोह समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की गई है। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त जसमीत सिंह ने बताया कि आइएमए की ओर से को उनको शिकायत मिली है। आरोपी की जांच की जा रही है।

अपनी शिकायत में आइएमए ने कहा है कि बाबा रामदेव की ओर दिया गया बयान देशहित के खिलाफ है। बाबा और उनकी साथियों की मंशा गलत थी। पिछले कुछ दिनों से रामदेव देश के डॉक्टरों और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा स्वीकृत कोरोना की दवाओं के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। इसके पीछे उनके अपने हित हैं। ऐसा कर वह देश की जनता को इस महामारी के समय भ्रमित कर रहे हैं। इसकी वजह से गरीब जनता का जान–माल का नुकसान होगा।

DR. M. INDUSCORP LIMITED

(Formerly known as Dr. M. Soy Proteins Limited) CIN: L01119DL1986PLC023698
18B/1, Ground Floor, D.B. Gupta Road, Dev Nagar, Karol Bagh, New Delhi-110005
Website: www.drminduscorp.com; Email: drmsoy@gmail.com, Ph. 011-28716806
Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2021
(Rs. in Lakh except per share data)

Sl. No.	Particulars	For Quarter ended			For year ended	
		31.03.2021 (Audited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2020 (Audited)
1	Total Income from Operations	14.73	14.32	40.01	63.18	241.63
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-5.61	-5.18	-9.08	-15.89	-15.89
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional nd/or Extraordinary items)	-5.61	-5.18	-9.08	-15.89	-15.89
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-5.61	-5.18	-9.08	-15.89	-15.89
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-5.61	-5.18	-9.08	-15.89	-15.89
6	Equity Share Capital	*763.02	*763.02	763.02	*763.02	763.02
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	(515.85)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)					
	1. Basic	-	-	-	-	-
	2. Diluted	-	-	-	-	-

* The Share Capital includes amount of Rs. 7 Lacs against share forfeited.

NOTES:
1 The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the Quarter and year ended March 31, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2021 are available on the websites of the Stock Exchange viz. www.msei.in and the Company's website viz. www.drminduscorp.com
2 The detailed audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on May 27, 2021. The Statutory Auditor of the Company have audited the Financial Results for the Quarter and year ended 31st March, 2021 and issued Audit Report with unmodified opinion pursuant to Regulation 33 of Listing Regulation.
3 The above financial results are prepared in compliance with Indian Accounting Standard ("Ind AS") as notified under section 133 of the Companies Act, 2013 and Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended.
4 The figures of the previous period/year have been regrouped/recast, wherever considered necessary, to conform to current year's classification.

For Dr. M. Induscorp Limited
Sd/-
Prem Prakash
Managing Director
DIN: 00289179

Place: New Delhi
Date: 27.05.2021

बिधूड़ी ने महरौली में गरीब परिवारों को बांटा राशन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 मई।

दक्षिणी दिल्ली सांसद रमेश बिधूड़ी ने सेवा ही संगठन योजना के तहत गुरुवार को किशनगढ़ गांव, महरौली व बिजवासन में गरीब परिवारों को राशन किट का वितरण किया। इस राशन किट में 10 किलो आटा व जरूरत की सभी सामग्री लोगों को उपलब्ध करवाई गई है। इसी प्रकार कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए इस किट में विषाणु रोधक (सैनिटाइजर) भी लोगों को दिया गया। इसके अतिरिक्त इलाके के धार्मिक स्थलों के पुजारियों को सैनिटाइजेशन मशीन दी गई। इस अवसर पर भाजपा संगठन महामंत्री सिद्धार्थन भी उपस्थित रहे।

जवान से फोन लूटने के मामले में दो बदमाश गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 मई।

कोटला मुबारकपुर थाना क्षेत्र में कार्य पर जा रहे एक सीआइएसएफ के जवान के साथ लूटपाट का मामला सामने आया है। घटना के वक्त जवान कार्य करने जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार बदमाशों उनके साथ लूटपाट करने लगे। विरोध करने पर एक बदमाश ने उन्हें दबोच लिया। उसके बाद मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। हालांकि, इसी बीच पुलिस की पीसीआर पहुंची, जिसके बाद आरोपी मौके पर ही मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। इसके आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान कोटला मुबारक पुर निवासी यश कुमार और पालम स्थित विजय एनक्लेव निवासी यशवंत उर्फ आशु के रूप में हुआ है। दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि बीती 25 मई की तड़के कोटला मुबारकपुर थाने को सीआरपीएफ के कांस्टेबल एम सुरेश ने लूटपाट की जानकारी दी थी।

GOODYEAR
GOODYEAR INDIA LIMITED

(CIN: L25111HR1961PLC008578)
Registered office: Mathura Road, Ballabgarh (Dist. Faridabad) - 121004, Haryana
Telephone: 0129-6611000 Fax: 0129-2305310, E-mail: gyi_info@goodyear.com, Website: www.goodyear.co.in

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED/ AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021
(Rs. In Lakhs)

Particulars	Current 3 months ended (31/03/2021)	Preceding 3 months ended (31/12/2020)	Corresponding 3 months ended (31/03/2020)	Year to date figures for current year ended (12 Months) (31/03/2021)	Year to date figures for previous year ended (12 Months) (31/03/2020)
	(Unaudited) (Refer Note 8)	(Unaudited)	(Unaudited) (Refer Note 8)	(Audited)	(Audited)
1 Total income from operations	57,449	51,979	38,302	181,429	178,074
2 Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	5,842	6,586	1,727	18,317	11,684
3 Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	5,842	6,586	1,727	18,317	11,684
4 Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	4,322	4,897	1,270	13,626	8,884
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (loss) (after tax)]	4,219	5,163	1,248	13,835	8,477
6 Paid-up equity share capital (Face Value of Rs.10/- per share)	2,307	2,307	2,307	2,307	2,307
7 Reserve (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year.				89,267	84,405
8 Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised):					
a) Basic (Rs.)	18.74	21.23	5.51	59.07	38.51
b) Diluted (Rs.)	18.74	21.23	5.51	59.07	38.51

NOTES:
1 The above is an extract of the detailed format of the Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and audited financial Results for the year ended March 31, 2021 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the Standalone Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com and also available on the Company's website i.e www.goodyear.co.in/investor-relations.
2 The Statement has been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended.
3 The Company is engaged in the business of sales of automotive tyres, tubes and flaps. The Company sells tyres of its own brand "Goodyear". The Chief Operating Decision Maker (CODM), Managing Director, performs a detailed review of the operating results, thereby makes decisions about the allocation of resources among the various functions. The operating results of each of the functions are not considered individually by the CODM, the functions do not meet the requirements of Ind AS 108 for classification as an operating segment, hence there is only one operating segment namely, "Automotive tyres, tubes & flaps".
4 In 2008, the State of Haryana (the State) introduced the "Entry Tax Act" ("Act"), which the Punjab and Haryana High Court declared as 'Unconstitutional'. The State did not frame and notify enabling "Entry Tax Rules", and no demand has been received to date by the Company. Accordingly, the amount of liability, if any, under the Entry Tax Act involved has not been quantified by the Company. On November 11, 2016, the nine Judges Bench of Hon'ble Supreme Court held that the State Governments do have right to levy an 'Entry Tax', however (i) whether States have enacted correct legislations in alignment with Indian Constitutional provisions, (ii) whether such taxes demanded by State Governments were actually used for intended development of local area and (iii) the interpretation of the word "Local Area" were among questions not addressed by the November 11, 2016 ruling, but instead are to be heard by Hon'ble Divisional Bench of the Supreme Court individually for each state, on merits.
The above mentioned matter heard by the Hon'ble Divisional Bench of the Supreme Court and were remanded back to the Punjab and Haryana High Court and directed that fresh petitions should be filed by the parties, based on the above principles given by the nine Judges Bench of Supreme Court.
The Company has filed its fresh petition in May 2017 and has sought independent legal advice with regard to leviability of such tax as notified by the Haryana Government in view of the parameters defined in the Supreme Court judgement. Considering the independent legal advice sought and uncertainties associated with it, the Company has currently assessed the obligation towards entry tax as a contingent liability, which is not quantifiable as the enabling rules have not been notified.
5 The Code on Social Security, 2020 ('Code') relating to employee benefits during employment and post-employment benefits received Presidential assent in September 2020. The Code has been published in the Gazette of India. However, the date on which the Code will come into effect has not been notified. The Company will assess the impact of the Code when it comes into effect and will record any related impact in the period the Code becomes effective.
6 The Board of Directors have recommended a final dividend of Rs.18 per equity share [face value of Rs.10 each] and special dividend of Rs.80 per equity share [face value of Rs.10 each] for the Financial Year ended March 31, 2021, aggregating to Rs. 22,605 lakhs, subject to approval of shareholders in the ensuing Annual General Meeting.
The Company had paid interim dividend of Rs. 80/- per equity share [face value of Rs.10 each] paid on December 24, 2020. The amount was recognized as distribution to equity shareholders.
The register of members and share transfer books will remain closed from August 06, 2021 to August 12, 2021 (both days inclusive)
7 The Company has considered the ongoing possible effects that may result from the pandemic relating to COVID 19 on the carrying amount of all assets and liabilities as at March 31, 2021. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the global economic conditions because of this pandemic, the Company, as at the date of approval of these financials results has used internal and external sources on the expected future performance of the Company. The Company has made assessment of its liquidity position for the current period and expects that the carrying amount of these assets / liabilities will be recovered / settled and subsequent liquidity is available to fund the business operations for at least another 12 months. The impact of COVID-19 on the Company's financial results may differ from that estimated as at the date of approval of these financial results and would be recognized prospectively.
8 The figures of last quarter of current and previous year are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures up to the third quarter of the financial year which are subject to limited review.
9 This Statement has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 27, 2021. The financials results for the year ended March 31, 2021 have been audited and for the quarter ended March 31, 2021 have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company and they have expressed an unmodifed opinion thereon.

For GOODYEAR INDIA LIMITED
Sandeep Mahajan
Chairman & Managing Director

Place: Noida
Date: May 27, 2021

PC Jeweller Limited

Extract of audited consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2021

(₹ in crores)

S. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2021 Audited	Year Ended 31.03.2021 Audited	Quarter Ended 31.03.2020 Audited
1.	Total Income from Operations	868.31	2826.34	914.67
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	27.77	7.81	(50.19)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	27.77	7.81	(50.19)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	59.59	62.00	(38.15)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	61.72	54.43	(28.78)
6.	Equity Share Capital	465.40	465.40	395.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		3803.91	
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)	(Not annualised)	(Annualised)	(Not annualised)
	1. Basic (Rs.)	1.47	1.53	(0.97)
	2. Diluted (Rs.)	1.47	1.53	(0.97)

Key figures of audited standalone financial results: (₹ in crores)

S. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2021 Audited	Year Ended 31.03.2021 Audited	Quarter Ended 31.03.2020 Audited
1.	Total Income from Operations	868.19	2669.34	876.88
2.	Net Profit / (Loss) for the period before tax	44.96	4.41	(54.08)
3.	Net Profit / (Loss) for the period after tax	77.75	61.42	(40.69)

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and year ended March 31, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and year ended March 31, 2021 are available on the websites of BSE Limited (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of the Company at the URL https://corporate.pcjeweller.com/financial-results-and-annual-report/.
2. Details of Audit qualification (Standalone): As explained in note 5 to the accompanying Statement, the Company during the financial year ended 31 March 2019 had provided discounts of ₹ 513.65 crore to its export customers which had been adjusted against the revenues for the said year. The Company had initiated the process of complying with the requirements of the Master Circular on Exports of Goods and Services issued by the Reserve Bank of India and had filed the necessary applications with the appropriate authority for approval of such discounts, which is a prerequisite, under the Foreign Exchange Management Act, 1999.
Subsequently, the Company has obtained the approvals from the authorized dealer banks for reduction in receivables corresponding to discounts amounting to ₹ 315.21 crore. For the remaining discounts of ₹ 198.44 crore, in the absence of requisite approvals and material evidence related to such transactions, we are unable to comment on the impact, if any, of the same on the accompanying Statement. Auditor's Opinion for the year ended 31 March 2019 and 31 March 2020 and our conclusion for the quarter ended 30 June 2020, 30 September 2020 and 31 December 2020 were also modified in respect of this matter.
3. Details of Audit qualification (Consolidated): As explained in Note 5(a) to the accompanying statement, the Holding Company during the financial year ended 31 March 2019 had provided discounts of ₹ 513.65 crore to its export customers which had been adjusted against the revenues for the said year. The Holding Company had initiated the process of complying with the requirements of the Master Circular on Exports of Goods and Services issued by the Reserve Bank of India and had filed the necessary applications with the appropriate authority for approval of such discounts, which is a prerequisite, under the Foreign Exchange Management Act, 1999. Subsequently, the Holding Company has obtained the approvals from the authorized dealer banks for reduction in receivables corresponding to discounts amounting to ₹ 315.21 crore. For the remaining discounts of ₹ 198.44 crore, in the absence of requisite approvals and material evidence related to such transactions, we are unable to comment on the impact, if any, of the same on the accompanying Statement. Auditor's Opinion for the year ended 31 March 2019 and 31 March 2020 and our conclusion for the quarter ended 30 June 2020, 30 September 2020 and 31 December 2020 were also modified in respect of this matter.

For and on behalf of the Board
PC Jeweller Limited
Sd/-
Balram Garg
(Managing Director)
DIN: 00032083

Place: New Delhi
Date: May 27, 2021

Regd. Office: C-54, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi - 110092, CIN: L36911DL2005PLC134929
Phone: 011-49714971, Fax: 011-49714972, Website: www.pcjeweller.com, e-mail: info@pcjeweller.com

www.readwhere.com

हमले के आरोपी केरल के संघ कार्यकर्ताओं की याचिका खारिज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली-27 मई।

केरल के वामपंथी कार्यकर्ता पर हमले के चार आरोपियों की केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सेशन अदालत ने इन आरोपियों को छह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। जिसे घटाकर केरल हाईकोर्ट ने तीन साल कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए आरोपियों की याचिका खारिज कर दी। ये आरोपी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता बताए गए थे।

अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने निचली अदालत द्वारा दी गई छह साल कैद की सजा को घटाकर तीन साल कर दिया था। भाकपा की युवा शाखा डीवाईएफआइ के कार्यकर्ता पर बकौल अभियोजन आरएसएस के 17 कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। तलवार से वार करके उसके टुकड़े कर दिए थे।

'सतलुज के डूब क्षेत्रों की रक्षा के लिए कदम उठाए'

नई दिल्ली, 27 मई (भाषा)।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पंजाब के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि लुधियाना में सतलुज के डूब क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए वह नदी संरक्षण समिति के साथ मिलकर सुधारात्मक कदम उठाएं।

अधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाले पीठ ने कहा कि लुधियाना में सतलुज के डूब क्षेत्रों और वन क्षेत्र की, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तथा वन संरक्षण अधिनियम के तहत सुरक्षा करने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा, 'वन संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी रूप से वनों की सुरक्षा आती है और बिना कानूनी अनुमति के जंगल के क्षेत्र में किसी भी गैर-वनीय गतिविधि की अनुमति नहीं है, ऐसे में यह अनुमान लगाने का कोई कारण नहीं है कि उक्त आदेश को नजरअंदाज किया जा सकता है। संबंधित प्राधिकार को इसके पहलुओं पर ध्यान देने और कानून के तहत आगे की कार्रवाई करने दें।' अधिकरण पंजाब निवासी कपिल देव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अर्जी में जंगल वाले इलाके और सतलुज के डूब क्षेत्र में आधुनिक औद्योगिक पार्क विकसित करने संबंधी लुधियाना मास्टर प्लान में प्रस्तावित संशोधन को चुनौती देते हुए कहा गया था कि यह वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का उल्लंघन है।

'विश्वामित्री नदी कार्ययोजना तीन महीने में लागू करें'

नई दिल्ली, 27 मई (भाषा)।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने वडोदरा में 'विश्वामित्री नदी कार्ययोजना' को तीन महीने के भीतर लागू करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है जिसमें अनधिकृत ढांचों को हटाना और डूब क्षेत्र में आने वाले मैदानी इलाकों को चिह्नित करने और उनका संरक्षण करने का कार्य भी शामिल है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाले पीठ ने इस पर गौर किया कि विश्वामित्री नदी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिह्नित की गई 351 प्रदूषित नदियों में से एक है।

पीठ ने कहा, 'नदी के डूब क्षेत्र में आने वाले पूरे मैदानी इलाके की पहचान करनी होगी। इसके बाद पौधारोपण तथा नदी की समग्रता को बरकरार रखने के लिए कदम उठाने की जरूरत है।'

उसने कहा, 'आवेदकों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार करने का निर्देश देते हुए हम दोहराते हैं कि अनधिकृत ढांचों को हटाने, डूब क्षेत्र में आने वाले मैदानी इलाकों की पहचान एवं संरक्षण के लिए 'विश्वामित्री नदी कार्ययोजनाद्ध को लागू किया जाए।'

पीठ ने कहा कि संबंधित अधिकारी इस कार्रवाई को तीन महीने के भीतर पूरा करें। अधिकरण गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री रिवरफ्रंट विकास परियोजना (वीआरडीपी) के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में कहा गया है कि यह परियोजना पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन करती है।

महत्वपूर्ण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रेलवे द्वारा निम्नलिखित विशेष रेलगाड़ियों की समय-सारणी में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:-

रेलगाड़ी सं. एवं नाम	स्टेशन	वर्तमान समय		परिवर्तित समय		तिथि (प्रारंभिक स्टेशन से)
		आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान	
02269 चेन्नई सेंट्रल – हजरत निजामुद्दीन दुरंतो विशेष रेलगाड़ी	झांसी जं.	05:35	05:40	**05:30**	**05:35**	चेन्नई सेंट्रल से दिनांक 28.05.2021 से
	ग्वालियर जं.	06:38	06:40	**06:33**	**06:35**	
	हजरत निजामुद्दीन	10:50	--	**10:40**	--	
02270 हजरत निजामुद्दीन – चेन्नई सेंट्रल दुरंतो विशेष रेलगाड़ी	ग्वालियर जं.	19:29	19:31	**19:18**	**19:20**	हजरत निजामुद्दीन से दिनांक 29.05.2021 से
	चेन्नई सेंट्रल	20:45	--	**20:50**	--	

नोट: रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर सामाजिक दूरी व सैनिटाइजेशन आदि सहित कोविड-19 से संबंधित राज्य एवं केन्द्र सरकार के सभी नियमों और सभी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है।

रेलयात्रियों से अनुरोध है कि उपरोक्त रेलगाड़ियों के मार्ग पड़ने वाले स्टेशन एवं उनकी विस्तृत समय-सारणी की जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट http://www.enquiry.indianrail.gov.in अथवा NTES App देखें।

रेलमदद वेबसाइट देखें:- www.railmadad.indianrailways.gov.in रेलमदद ऐप डाउनलोड करें

पर हमें फॉलो करें

1137/2021

रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139

उत्तर रेलवे
सदैव आपकी सेवा में
हमें www.nr.indianrailways.gov.in पर मिलें

जन सम्पर्क - उत्तर रेलवे

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

एनडीआर ऑटो कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत. कार्यालय:लेवल-5, रेगस कैडी कॉमर्सियल टावर, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट एयरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110037

CIN: L29304DL2019PLC347460

वेबसाइट: www.ndrauto.com, ईमेल: cs@ndrauto.com, फोन: +91 11 66544976

31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए अंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

(प्रति शेयर डैटा छोड़कर रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष/अवधि	
		31.3.21 (अंकेक्षित)	31.12.20 (अनंकेक्षित)	31.3.20 (अनंकेक्षित)	31.03.21 (अंकेक्षित)	31.03.2020 (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	5219.16	3058.93	1604.49	11412.90	9661.52
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों एवं/अथवा एसोसिएट एवं संयुक्त उपक्रम के शेयर से पूर्व)	371.07	374.37	26.39	899.83	(10.75)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों एवं/अथवा एसोसिएट एवं संयुक्त उपक्रम के शेयरों के बाद)	562.62	604.52	23.39	1115.86	591.97
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों एवं/अथवा एसोसिएट एवं संयुक्त उपक्रम के शेयरों के बाद)	431.91	507.57	15.74	853.16	659.06
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	452.99	502.82	(16.82)	860.01	647.12
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	594.63	594.63	594.63	594.63	594.63
7.	अन्य इक्विटी (आरक्षितों) अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	–	–	–	17222.82	16362.81
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (रु. में)					
	क) मूल (रु. में)	7.26	8.54	0.26	14.35	11.08
	ख) तरल (रु. में)	7.26	8.54	0.26	14.35	11.08

टिप्पणी:

क) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई समेकित तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। समेकित तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाईट (www.ndrauto.com) तथा बीएसई की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा एनएसई (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

ख) एनडीआर ऑटो कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड ("कम्पनी") की उक्त समेकित वित्तीय परिणामों को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के नियम 3 तथा कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2016 तथा उसके बाद संबंधित संशोधन नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखामानक (इंड-एएस) के अनुसार तैयार किया गया है।

ग) उपरोक्त समेकित वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 26 मई, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिये उक्त रिपोर्ट की गई आंकड़े प्रबंधन द्वारा प्रमाणित आंकड़े हैं तथा सीमित समीक्षा के अधीन नहीं रखे गये थे।

घ) अंतिम तिमाही के आंकड़े 31 मार्च, 2021 तक सम्पूर्ण वित्त वर्ष तथा 31 दिसम्बर, 2020 जो वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही की समाप्ति तक की तिथि है, तक तिथि तक वर्ष के प्रकाशित अनंकेक्षित आंकड़े के संदर्भ में अंकेक्षित आंकड़ों के बीच संतुलक आंकड़े हैं जो सीमित समीक्षा के अधीन थे।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से
हस्ता/-
रजत भंडारी
कार्यकारी निदेशक

स्थान: गुरुग्राम
तिथि: 26 मई, 2021

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से)

सीआईएन : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेत, चेन्नई-600031.

दूरभाष : +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022.

IDFC FIRST Bank

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना

निम्नलिखित कर्जदारों ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से) से निम्नलिखित प्रतिभूत ऋण ग्रहण किया। निम्नलिखित कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों के ऋण उनकी सम्बन्धित सम्पत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभूत हुए हैं। चूंकि वे सम्बन्धित ऋण अनुबंधों के नियम एवं शर्तों का पालन करने में असफल रहे और अनियमित हो गये थे अतः भा.रि.बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार उनके ऋण एनपीए वर्गीकृत कर दिये गये। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से) द्वारा उनकी ओर बकाया राशि जारी की गयी सम्बन्धित सूचनाओं के अनुसार वर्णित हैं जो निम्नलिखित तालिका में अधिक स्पष्ट रूप से वर्णित हैं तथा कथित राशियों पर भावी ब्याज भी प्रयोज्य होगा और इसे उनकी सम्बन्धित तिथियों से अनुबन्ध दर के अनुसार प्रभारित किया जायेगा।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों के नाम	धारा 13(2) सूचना तिथि	धारा 13(2) के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	551947 552208 2005015 तथा 3865600	गृह ऋण तथा सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण	1. देविन्दर अजमानी 2. हार्विन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड 3. नरिन्दर अजमानी 4. महिन्दर मोहन अजमानी	15.4.2021	86684615.08/-	सम्पत्ति सं. सी-3/20 का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्रफल 200 वर्ग गज, सफदरजंग डेवलपमेंट स्कीम, सफदरजंग, नई दिल्ली में स्थित, तथा सीमाएं : उत्तर : सर्विस रोड 15', दक्षिण : सड़क, पूर्व : प्लॉट सं. 19, पश्चिम : लेन/नर्सरी स्कूल।
2	15142291	गृह ऋण	1. गौरव सहाय 2. विक्रम सहाय	20.4.2021	2601537.86/-	फ्लैट सं. यूजी 04 (3 बीएचके, 3 रूम, 2 किचन, 1 बेडरूम), एलएचएस उत्तरी भाग का सम्पूर्ण हिस्सा, आवासीय प्लॉट सं. 302 तथा 303 पर निर्मित, भवन "गैलेक्सी अपार्टमेंट", कवर्ड एरिया माप 106.76 वर्ग मीटर, ब्लॉक पी में, ईश्वर नगर, ग्राम शावेरी, परगना तथा तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र तथा सीमाएं : पूर्व : गली 20 फीट चौड़ी, पश्चिम : फ्लैट सं. यूजी-05, उत्तर : फ्लैट सं. यूजी-03, दक्षिण : गली 22 फीट चौड़ी।
3	26691605	गृह ऋण	1. कन्हैया कुमार केशरी 2. पूजा देवी	11.4.2021	1066995.46/-	सम्पत्ति निजी फ्लैट सं. डी-2, तूसरी मंजिल का सम्पूर्ण भाग, कवर्ड एरिया माप 61.11 वर्ग गज, खसरा नं. 1171 मिन (0-18) तथा 1171 मिन (0-6) का भाग ग्राम कापसहेड़ा, नई दिल्ली की विस्तारित आबादी में स्थित, पानी, बिजली तथा सीवरेज कनेक्शन चालू हालत में तथा एक कार पार्किंग, लिफ्ट का कॉमन उपयोग, कॉमन सुविधाएं आदि तथा भूमि का अविभाजित, अविभाज्य एवं इंपार्शियल स्वामित्व अधिकार, एवं सीमाएं निम्नलिखित हैं : उत्तर : बालकनी/पैसेज, दक्षिण : अन्य फ्लैट, पूर्व : कॉरीडोर, पश्चिम : डी-1 फ्लैट
4	25373895	सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण	1. श्री मंदीप सिंह 2. श्रीमती अबिनाश कौर 3. अकाल डिजाइन्स	11.4.2021	10293790.89/-	आवासीय सम्पूर्ण द्वितीय तल, छत के अधिकार सहित, बिल्ट अप सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजेड-760 का सम्पूर्ण भाग, प्लॉट सं. ए-168 का भाग, माप क्षेत्रफल 151-1/4 वर्ग गज, खसरा नं. 615 में से, फतेह नगर, ग्राम तिहाड़े, नई दिल्ली के क्षेत्र में स्थित, सीमाएं : पूर्व : 11 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम : प्लॉट सं. ए169, उत्तर : सड़क 13 फीट चौड़ी, दक्षिण : प्लॉट सं. ए167
5	29910240	सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण	1. श्री मोहम्मद शरीफ खान 2. श्रीमती शाहिबा शकीर खान	20.4.2021	3058836.24/-	सम्पत्ति सं. बी-114 तथा पुराना सं. 341/3-ए/5बी के सम्पूर्ण प्रथम तल का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्रफल 95 वर्ग गज, खसरा नं. 586 में से, कान्ति नगर, ग्राम चन्द्रावली, शाहदरा, दिल्ली के क्षेत्र में स्थित तथा कथित सम्पत्ति की सीमाएं निम्नलिखित हैं : पूर्व : अन्य सम्पत्ति, पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति, उत्तर : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण : सड़क
6	29775142 तथा 29630655	गृह ऋण	1. मोहित गुप्ता 2. दीपिका गुप्ता	11.4.2021	7834220.28/-	बिल्ट अप सम्पूर्ण अपर ग्राउण्ड फ्लोर फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं. 57, छत के अधिकार रहित का सम्पूर्ण भाग, भूमि क्षेत्रफल 90.00 वर्ग मीटर, पॉकेट-28, सेक्टर 24, में, रोहिणी आवासीय योजना के लेआउट प्लान, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित जिसकी सीमाएं हैं : उत्तर : प्लॉट सं. 56, दक्षिण : प्लॉट सं. 58, पूर्व : प्रवेश, पश्चिम : प्लॉट सं. 66
7	17252371	गृह ऋण	1. रिया मित्तल 2. अनिल कुमार	15.4.2021	5063836.33/-	फ्रीहोल्ड बिल्ट अप सम्पत्ति म्युनिसिपल सं. डब्ल्यूजेड-77, प्लॉट सं. 59 के भाग पर निर्मित छत के अधिकार रहित सम्पूर्ण प्रथम का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्रफल 50 वर्ग गज (13'-6"×33'-2") लगभग, खसरा नं. 1395 का भाग, ग्राम तिहाड़ के क्षेत्र में तथा कॉलोनी प्रताप नगर, जेल रोड, हरी नगर, नई दिल्ली-110064 में स्थित तथा सीमाएं : उत्तर : प्लॉट सं. 59 का शेष भाग, दक्षिण : प्लॉट सं. 60, पूर्व : अन्य का, पश्चिम : सड़क
8	26141570	गृह ऋण	1. शैलेन्द्र 2. भगवती 3. रतन पाल सिंह 4. सरिता	20.4.2021	1307276.94	बिल्ट अप सम्पत्ति सं. 364, प्लॉट सं. 44 का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्रफल 40 वर्ग गज अर्थात 33.444 वर्ग मीटर, पानी तथा बिजली मीटर कनेक्शन से युक्त, अन्तिम मंजिल तक निर्माण के अधिकार सहित, खसरा नं. 459 में से, ग्राम सिकदरपुर उर्फ शाहदरा, आबादी गली नं. 6, दुर्गापुरी एक्स., लोनी रोड, इलाका-शाहदरा, दिल्ली, दिल्ली-110032 में स्थित तथा सीमाएं निम्नलिखित हैं : उत्तर : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण : 14 फीट गली, पूर्व : अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति
9	34362717 तथा 30491385	सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण	1. सुमन शर्मा 2. राहुल शर्मा	11.4.2021	17719746.92/-	सम्पत्ति म्युनिसिपल सं. 1/9805 का सम्पूर्ण भाग, माप 3 बिस्वा (अर्थात 150 वर्ग गय या 125.41 वर्ग मीटर), खसरा नं. 292 में से, ग्राम बाबरपुर, वेस्ट गोरखपार्क, गली नं. 1, शाहदरा, दिल्ली-110032 में स्थित तथा सीमाएं : उत्तर : भगवती की सम्पत्ति, दक्षिण : गफूरा की सम्पत्ति, पूर्व : गली, पश्चिम : पतराम की सम्पत्ति
10	2340298 तथा 2412667	सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण	1. मैसर्स वरुण फैशन 2. श्री वरुण गुप्ता 3. श्रीमती नीता गुप्ता 4. श्री शिव कुमार गुप्ता	20.4.2021	70989876.75/-	प्लॉट सं. सी-48 का सम्पूर्ण भाग, माप क्षेत्रफल 611-1/9 वर्ग गज, इन्दरपुरी, नई दिल्ली में स्थित।
11	26691120	गृह ऋण	1. श्री विजेन्द्र कुमार राणा 2. श्रीमती सुमन 3. श्री तरुण	20.4.2021	690295.84/-	बिल्ट अप सम्पत्ति सं. 476/34 का सम्पूर्ण भाग, भूमि क्षेत्रफल 40 वर्ग गज पर निर्मित, ऊपर छत के मुक्त निर्माण का अधिकार, कुल भूमि क्षेत्रफल 126 वर्ग गज में से, समस्त फिटिंग तथा फिक्सचर से विधिवत युक्त, पुराने प्लॉट सं. 46 के भाग पर निर्मित, खसरा नं. 210 में, गाँव चौकरी, मुबारकाबाद, दिल्ली, आबाद ओंकार नगर-सी, त्रिनगर, दिल्ली-110035 में स्थित। कथित सम्पत्ति तहत भूमि के फ्रीहोल्ड अधिकार सहित जिसकी सीमाएं हैं : उत्तर : सम्पत्ति सं. 477/34, पूर्व : 10 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : शेष भाग, पश्चिम : शेष भाग।
12	14040178	गृह ऋण	1. निरंजन साहा 2. ममता पंजा	20.4.2021	2084235.11/-	प्रथम तल (दाहिने ओर का भाग) इसके टैरेस के अधिकार रहित, क्षेत्रफल माप 65 वर्ग गज, सम्पत्ति सं. 695- ए/1 का भाग, खसरा नं. 93, गली नं. 6 का सम्पूर्ण भाग, गोविन्दपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली में स्थित तथा सम्पत्ति 695-ए/1 की सीमाएं हैं : उत्तर : सम्पत्ति सं. 695-ए, दक्षिण : तारा सिंह की सम्पत्ति, पूर्व : अन्य सम्पत्ति, पश्चिम : गली।
13	28448092	सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण	1. श्री जतिन शर्मा 2. श्री सुरेश कुमार 3. श्रीमती रेखा सुरेश शर्मा 4. श्रीमती रेखा शर्मा	20.4.2021	576874.52/-	खसरा/मु. सं. 40, किला सं. 27/2, वाके मौजा-ऊंचा गाँव (आदर्श नगर), तहसील-बल्लभगढ़, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा-121004 का सम्पूर्ण भाग, माप लगभग 55 वर्ग गज तथा सीमाएं निम्नलिखित हैं : पूर्व : परसी का मकान, पश्चिम : सतवीर यादव, उत्तर : विक्रेता का शेष भाग, दक्षिण : 15 फीट चौड़ी सड़क
14	23679708 तथा 33671543	सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण	1. संजय नगर 2. बिमलेश अंत्रम	11.4.2021	2802519.17/-	सम्पत्ति/प्लॉट सं. 206 का सम्पूर्ण भाग, माप 15 मरले अर्थात 455 वर्ग गज, क्षेत्रफल 22 कना 11 मरले में से, अराजी खेवट/खाता सं. 353/445-354/446, खसरा मुस्तैल सं. 36//10/2,11/1,11/2, 20/1, 20/2,10/1 में से, वाका मौजा अलीपुर, उपतहसील दयालपुर, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा-121004 में स्थित, तथा सीमाएं : उत्तर : श्री देशराज का मकान, दक्षिण : श्री बिजेन्दर का मकान, पूर्व : श्री ज्ञानचन्द का मकान, पश्चिम : रकबा श्री गुदाध सिंह
15	19112415	सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण	1. शकील अब्दुल कलाम 2. सलमा शकील	20.4.2021	1307276.94/-	प्लॉट/सम्पत्ति सं. 21 के प्लॉट भाग का सम्पूर्ण हिस्सा, 136 वर्ग गज में से माप 50 वर्ग गज, खेवट खाता सं. 32/60, मुस्तैल सं. 100, किला सं. 12(8-0) में, वाका मौजा बडखल, तहसील बडखल एवं जिला फरीदाबाद, हरियाणा-121001 में स्थित तथा सीमाएं हैं : उत्तर 15 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व : प्लॉट सं. 20, दक्षिण : 15 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम : प्लॉट सं. 22
16	27249470	गृह ऋण	1. राज कुमार 2. गौतम सिंह	20.4.2021	2772063.20/-	फ्रीहोल्ड आवासीय द्वितीय तल (छत के अधिकार रहित), कवर्ड एरिया 40 वर्ग मीटर, प्लॉट संख्या 5/334, सेक्टर 5, मोहन नगर, कर्मचारी आवास समिति लिमिटेड, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012 का सम्पूर्ण भाग तथा सम्पूर्ण प्लॉट की सीमाएं : उत्तर : 6 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण : प्लॉट संख्या 5/351 पूर्व : प्लॉट संख्या 5/333 पश्चिम : प्लॉट संख्या 5/335
17	11730202 तथा 21038668	गृह ऋण तथा सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण	1. अजय गर्ग 2. दीप्ति गर्ग	20.4.2021	2134146.68/-	तृतीय तल, प्लॉट सं. 44, खसरा नं. 37, पंचवटी कॉलोनी, ग्राम महमा सराय, परगना लोनी, तहसील तथा जिला गाजियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010 पर स्थित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग, माप 66 वर्ग मीटर तथा सम्पत्ति का कवर्ड एरिया 53.51 वर्ग मीटर तथा सीमाएं हैं : पूर्व : प्लॉट सं. 41, पश्चिम : 24 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर : प्लॉट सं. 43, दक्षिण : प्लॉट सं. 45
18	28230620	सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण	1. श्री विकास गुप्ता 2. श्रीमती अंजुल गुप्ता	11.4.2021	73376028.90/-	प्लॉट/सम्पत्ति सं. 10, माप क्षेत्रफल 420 वर्ग मीटर अर्थात 502.32 वर्ग गज, सड़क सं. एफ-9 का सम्पूर्ण भाग, आवासीय कॉलोनी डीएलएफ सिटी, फेज-I, पूर्व में डीएलएफ कुतब एन्कलेव कॉम्पलेक्स में स्थित, तथा ग्राम चक्करपुर, तहसील एवं जिला गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित, एवं सीमाएं हैं : पूर्व : प्लॉट सं. F-6/5 पश्चिम : सड़क, उत्तर : प्लॉट सं. F-9/11 दक्षिण : प्लॉट सं. F-9/9
19	12813391	सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण	1. श्री रविन्दर सिंह नागर 2.श्रीमती कर्मवती रविन्द्रा	17.04.2021	2707040.30/-	प्लॉट सं. 01, क्षेत्रफल माप 300 वर्ग गज या 250.83 वर्ग मीटर से निर्मित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग, खसरा नं. 381, ग्राम अच्छेजा, परगना तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-203207 में स्थित। उत्तर : 16 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : फर्स्ट पार्टी का प्लॉट, पूर्व : श्रीमती इन्द्रेश का प्लॉट, पश्चिम : फर्स्ट पार्टी का प्लॉट
20	14131550	गृह ऋण	1. रितेश कुमार 2. पिंकी कुमारी	20.4.2021	2867452.79/-	सम्पत्ति सं. 5, खसरा नं. 204 मिन में से माप 110 वर्ग गज का सम्पूर्ण भाग, ग्रीन गार्डन कॉलोनी, ग्राम शाहबेरी, परगना तथा तहसी दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित तथा सीमाएं हैं : पूर्व : 21 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम : स्वामी का प्लॉट, उत्तर : प्लॉट सं. 6, दक्षिण : प्लॉट सं. 4
21	23003489	गृह ऋण	1. श्रीमती शिवानी दहिया 2. श्री विवेक आनन्द झा	20.4.2021	5599819.31/-	फ्लैट सं. 1401, 14वां तल, टॉवर हैप्पीनेस, ब्लॉक-बी का सम्पूर्ण भाग, सुपर एरिया 1210 वर्ग फीट, 'सिक्का कार्मिक ग्रीन्स' कॉम्पलेक्स, ग्रुप हाउसिंग प्लॉट सं. जीएच-01/सी, सेक्टर-78, नोएडा, जिला-गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश पर स्थित, तथा सीमाएं हैं : उत्तर-पूर्व : खुला (नीचे), दक्षिण-पश्चिम : फ्लैट सं. 1402, उत्तर-पश्चिम : फ्लैट का प्रवेश, दक्षिण-पूर्व : खुला (नीचे)

एतद्वारा आपसे सम्बन्धित तिथि से से अनुबन्ध दर पर ब्याज सहित तथा अन्य लागतों, प्रभारों आदि का उपर्युक्त तालिका में प्रदर्शित विवरण के अनुसार इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से) को राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें असफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) तथा धारा 14 के तहत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से) के बकाया राशि की वसूली के लिए यहां ऊपर उल्लिखित बंधक सम्पत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए बाध्य होगा। पुनः कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत आपको विक्रय/पट्टे अथवा अन्य रीति से कथित किसी भी प्रतिभूत आस्ति को हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है।

ह./-
अधिकृत प्राधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से)

तिथि : 28.05.2021
स्थान : दिल्ली

punjab national bank ...the name you can BANK upon! pnb

Oriental United

मंडल सस्त्र केन्द्र बदायूं : सी-18/बी, प्रथम तल, डी.डी. पुरम, बरेली (उ.प्र.)
फोन नं. : 0581-2302473, 2302474, 2302475
ई-मेल : cobudaun@pnb.co.in | cs8211@pnb.co.in

नोटिस U/S 13(2) के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण वित्तीय संपत्ति एवं सुरक्षा हित अधिनियम 2002 का प्रवर्तन

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि किस्त/ब्याज/मूल ऋण का भुगतान न करने के कारण, नीचे उल्लिखित खातों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमने अपने अंतिम उपलब्ध पतों पर पंजीकृत डाक के माध्यम से सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत नीचे दी गई सुविधाओं के कारण ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ पूरे बकाया की मांग की थी या तो उन्हें वापस लौटा दिया गया या उनकी पावती नहीं मिली और जैसे उन्हें सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उसी के बारे में सूचित किया गया।

हम इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों (साठ दिनों) के भीतर पूर्ण रूप से भुगतान होने तक अनुबंधित दर पर नीचे बताई गई राशि का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित बोरोअर्स/गारंटर्स/मोर्टगेजर्स का आह्वान करते हैं। डिफॉल्ट रूप में, कानून के तहत उपलब्ध बैंक के अन्य अधिकारों का उपयोग करने के अलावा, बैंक किसी भी या सभी शक्तियों का उपयोग करने का इरादा रखता है, जो कि वित्तीय परिसंपत्तियों के सिक्यूरिटीकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13 (4) के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है और सुरक्षा अधिनियम 2002 को लागू करता है। सुरक्षित ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में, बैंक द्वारा लागू की गई सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण भी नीचे उल्लिखित है।

शाखा का नाम	खाते का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण एवं स्वामी का नाम	एन.पी.ए. तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि	डिमांड नोटिस की धनराशि
एटा जी.टी.रोड	**मैसर्स पुष्पेन्द्र सिंह यादव** पता-87-सी, नवीन मण्डी स्थल, एटा, जिला-एटा **प्रोप्राइटर :** पुष्पेन्द्र सिंह यादव पुत्र राजवीर सिंह **गारन्टर :** (1) मुन्नी देवी पत्नी राजवीर सिंह (2) ब्रिजेश कुमारी पत्नी पुष्पेन्द्र सिंह **सुविधा :** नकद उधार एवं टर्म लोन **सीमा :** रु. 15,00,000/- व रु. 78,115/-	1. सम्पत्ति के सभी भाग व अंश, श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री राजवीर सिंह व श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री राम पाल सिंह, स्थित मौजा-उद्देतपुर, मोहल्ला भागीपुर, नगर पालिका बहार चुंगी, परगना-एटा साकीत, तहसील व जिला-एटा के नाम है। जो कि बिलेख दिनांक 31.12.2010 को एस.आर.ओ.-एटा में रजिस्टर्ड है। जो बही नं. 01, जिल्द नं. 735, पृष्ठ सं. 379-408, क्र.सं. 12577 पर दर्ज है। जिसकी पैमाईश 92.07 वर्ग मीटर है। **चौहद्दी: पूर्व**-गिरराज सिंह का प्लॉट, **पश्चिम**-जसवीर सिंह का मकान, **उत्तर**-15 फिट चौड़ा रोड, 2. सम्पत्ति के सभी भाग व अंश, श्रीमती बृजेश कुमारी पत्नी श्री पुष्पेन्द्र सिंह, स्थित मौजा-भागीपुर, बहार चुंगी (उद्देतपुर), परगना-एटा साकीत, तहसील व जिला-एटा के नाम है। जो कि बिलेख दिनांक 07.04.2015 को एस.आर.ओ.-एटा में रजिस्टर्ड है। जो बही नं. 01, जिल्द नं. 4579, पृष्ठ सं. 305-344, क्र.सं. 4574 पर दर्ज है। जिसकी पैमाईश 82.53 वर्ग मीटर है। **चौहद्दी: पूर्व**-रास्ता 20 फिट चौड़ा व मुकीर का प्लॉट, **पश्चिम**-दिनेश का प्लॉट, **उत्तर**-आराजी मुकीर, **दक्षिण**-विजय सिंह की भूमि	31-03-2021	05-05-2021	Rs. 16,51,517.70 + Futher Interest
बिसौली	**मैसर्स शिव ईंट उद्योग** पता-ग्राम परौली, तहसील-बिसौली, जिला-बदायूं आवास-बिहारमान नगला, गायत्री पुरम, बरेली निकट वीर सावरकर रोड, बरेली, जिला बरेली **प्रोप्राइटर :** राम धुन पुत्र सुखलाल **बंधककर्ता :** गंगा देवी पत्नी राम धुन सिंह **गारन्टर :** (1) कुँवल पाल सिंह पुत्र सुखलाल (2) अजय पाल पुत्र सुखलाल **सुविधा :** नकद उधार एवं टर्म लोन **सीमा :** रु. 30,00,000/- व रु. 1,53,349/-	1. सम्पत्ति के सभी भाग व अंश, श्रीमती गंगा देवी पत्नी राम धुन सिंह, स्थित मोहल्ला बिहारमान नगला, गायत्री पुरम, बरेली के नाम है। जो कि बिलेख दिनांक 04.05.2010 को एस.आर.ओ.-बरेली में रजिस्टर्ड है। जो बही नं. 01, जिल्द नं. 3708, पृष्ठ सं. 01-32, क्र.सं. 4252 पर दर्ज है। जिसकी पैमाईश 159.69 वर्ग मीटर है। **चौहद्दी: पूर्व**-6 मी. चौड़ा, **पश्चिम**-अशोक गंगवार का मकान, **उत्तर**-अजय कुमार सक्सेना का प्लॉट, **दक्षिण**-मंजू शुक्ला का प्लॉट 2. सम्पत्ति के सभी भाग व अंश, श्रीमती दुलारी देवी पत्नी स्व. सुखलाल, स्थित ग्राम-गुधानी, परगना-कोट, तहसील-बिल्सी, जिला बदायूं के नाम है। जो कि बिलेख दिनांक 15.10.2012 को एस.आर.ओ.-बिसौली में रजिस्टर्ड है। जो बही नं. 01, जिल्द नं. 1954, पृष्ठ सं. 309-336, क्र.सं. 4823 पर दर्ज है। जिसकी पैमाईश 5985 वर्ग मीटर है। **चौहद्दी: पूर्व**-होरी लाल की भूमि, **पश्चिम**-रिषिदेव व अन्य की भूमि, **उत्तर**-चक रोड, **दक्षिण**-बादाम व अन्य का प्लॉट	31-03-2021	03-05-2021	Rs. 32,05,665.99 + Futher Interest
बिसौली	**मैसर्स सिंह टावर हाउस** पता-बिल्सी रोड, बिसौली, बदायूं जिला बदायूं **प्रोप्राइटर:** सचिन कुमार सिंह पुत्र सर्वेन्द्र पाल सिंह **गारन्टर :** (1) रानी पत्नी सर्वेन्द्र पाल सिंह (2) नेत्रपाल सिंह पुत्र अफसर सिंह (3) सर्वेन्द्र पाल सिंह पुत्र रामवीर सिंह **सुविधा :** नकद उधार **सीमा :** रु. 90,00,000/-	सम्पत्ति के सभी भाग व अंश, रानी पत्नी सर्वेन्द्र पाल सिंह, स्थित वार्ड सं. 08, कस्बा-बिसौली, हैंडल कॉलोनी, बिसौली के नाम है। जो कि बिलेख दिनांक 30.03.2002 को एस.आर.ओ.-बिसौली में रजिस्टर्ड है। जो बही नं. 01, जिल्द नं. 585, पृष्ठ सं. 311-342, क्र.सं. 1244 पर दर्ज है। जिसकी पैमाईश 117.04 वर्ग मीटर है। **चौहद्दी: पूर्व**-मैदान (खाली स्थान), **पश्चिम**-नेत्रपाल का मकान, **उत्तर**-हैडल ऑफिस, **दक्षिण**-12 फिट रोड	31-03-2021	03-05-2021	Rs. 09,96,732/- + Futher Interest
एटा ई-यू.बी.आई.	**अनिल कुमार** पुत्र महेश बाबू पता-511, संजय नगर, एटा जिला एटा **को-बोरोअर :** राज बेटी पत्नी महेश बाबू **गारन्टर :** महेश बाबू पुत्र लल्लू सिंह **सुविधा :** ओवर ड्राफ्ट एवं टर्म लोन **सीमा :** रु. 10,00,000/- व रु. 56,953/-	सम्पत्ति के सभी भाग व अंश, राज बेटी पत्नी महेश बाबू, स्थित मोहल्ला संजय नगर, परगना-साकीत, जिला-एटा के नाम है। जो कि बिलेख दिनांक 23.08.2006 को एस.आर.ओ.-एटा में रजिस्टर्ड है। जो बही नं. 01, जिल्द नं. 4610, पृष्ठ सं. 01-48, क्र.सं. 392 पर दर्ज है। जिसकी पैमाईश 125.55 वर्ग मीटर है। **चौहद्दी: पूर्व**-मुलायम सिंह का प्लॉट, **पश्चिम**-सुषमा जौहरी का मकान, **उत्तर**-रामेश्वर का मकान, **दक्षिण**-रास्ता 8 फिट चौड़ा	31-03-2021	03-05-2021	Rs. 11,01,662/- + Futher Interest
एटा ई-यू.बी.आई.	**धर्मेन्द्र सिंह** पुत्र उदयवीर सिंह पता-गली नं. 5, आगरा रोड, वर्मा नगर, एटा, जिला एटा **गारन्टर :** दीपक कुमार पुत्र राम प्रकाश **सुविधा :** ओवर ड्राफ्ट व टर्म लोन **सीमा :** रु. 9,00,000/- एवं रु. 71,747/-	सम्पत्ति के सभी भाग व अंश, धर्मेन्द्र सिंह पुत्र उदयवीर सिंह, स्थित मौजा बरथर, परगना-एटा साकीत, तहसील व जिला एटा के नाम है। जो कि बिलेख दिनांक 05.08.2013 को एस.आर.ओ.-एटा में रजिस्टर्ड है। जो बही नं. 01, जिल्द नं. 3052, पृष्ठ सं. 133-190, क्र.सं. 9517 पर दर्ज है। जिसकी पैमाईश 109.89 वर्ग मीटर है। **चौहद्दी: पूर्व**-जगदीश का मकान, **पश्चिम**-रास्ता 12 फिट चौड़ा, **उत्तर**-देवी सिंह का प्लॉट, **दक्षिण**-भूपेन्द्र सिंह यादव का मकान	31-03-2021	03-05-2021	Rs. 10,14,220.66 + Futher Interest
चन्दौसी बैंक रोड	**मैसर्स भूकन सरन चन्द्र प्रकाश** पता-मोहल्ला कबीर, निकट राम कृष्ण धर्मशाला, चन्दौसी, सम्भल उ.प्र.-244412 **प्रोप्राइटर :** निशा अग्रवाल पत्नी हदेश अग्रवाल **गारन्टर :** हदेश अग्रवाल पुत्र चन्द्र प्रकाश अग्रवाल **सुविधा :** नकद उधार व 3 टर्म लोन **सीमा :** रु. 40,00,000/- रु. 3,75,000/-, 10,00,000/- एवं रु. 2,30,046/-	1. सम्पत्ति (भूमि व भवन) के सभी भाग व अंश, निशा अग्रवाल पत्नी हदेश अग्रवाल, स्थित मिलक मौलागढ़ (शक्ति नगर), चन्दौसी, जिला-सम्भल के नाम है। जो कि बिलेख दिनांक 28.10.2013 को एस.आर.ओ.-चन्दौसी में रजिस्टर्ड है। जो बही नं. 01, जिल्द नं. 5612, पृष्ठ सं. 1-22, क्र.सं. 14933 पर दर्ज है। जिसकी पैमाईश 163.88 वर्ग मीटर है। **चौहद्दी: पूर्व**-पवन साहनी की सम्पत्ति, **पश्चिम**-रास्ता 12 फिट, **उत्तर**-महेन्द्र सिंह के उत्तराधिकारी की सम्पत्ति, **दक्षिण**- अनिल कुमार शर्मा का मकान 2. सम्पत्ति (भूमि व भवन) के सभी भाग व अंश, हदेश अग्रवाल पुत्र चन्द्र प्रकाश अग्रवाल, स्थित मोहल्ला कबीर, चन्दौसी, तहसील-चन्दौसी, जला-सम्भल के नाम है। जो कि बिलेख दिनांक 11.11.2013 को एस.आर.ओ.-चन्दौसी में रजिस्टर्ड है। जो बही नं. 01, जिल्द नं. 5631, पृष्ठ सं. 367-400, क्र.सं. 15565 पर दर्ज है। जिसकी पैमाईश 380.25 वर्ग मीटर है। **चौहद्दी: पूर्व**-रामपाल मौर्य का मकान, **पश्चिम**-रास्ता 10 फिट चौड़ा, **उत्तर**-हरद्वारी लाल व जोगराज का मकान, **दक्षिण**-रास्ता सरकारी 16.6 फिट चौड़ा	31-03-2021	03-05-2021	Rs. 58,75,956.97 + Futher Interest

इसके अलावा, उधारकर्ता/गारंटर/मोर्टगेजर्स को निम्नानुसार सूचित किया जाता है :

1. SARFAESI अधिनियम की धारा 13 (13) के संदर्भ में, आप इस नोटिस के प्रकाशन के बाद, बिक्री के माध्यम से स्थानांतरण, पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में अन्य) सुरक्षित संपत्ति में से कोई भी नहीं करेंगे बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपर्युक्त। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि इस वैधानिक निषेधाज्ञा/संयम का कोई उल्लंघन, जैसा कि उक्त अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है, अपराध है। यदि किसी कारण से, सुरक्षित संपत्तियां व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में बेची जाती हैं या पट्टे पर दी जाती हैं, तो बिक्री की गई आय या आय को बैंक के पास /उसके पास जमा/प्रेषित किया जाएगा। आपको इस तरह की प्राप्ति/आय के उचित खाते को प्रस्तुत करना होगा।
2. अन्य सुरक्षित परिसंपत्तियों को लागू करने के लिए बैंक अपने अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. कृपया इस नोटिस के तहत इस मांग का अनुपालन करें और सभी अप्रियता से बचें। अनुपालन न करने की स्थिति में, सभी लागतों और परिणामों के लिए आपको उत्तरदायी ठहराते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी।

डीआरटी/कोर्ट के समक्ष कानूनी कार्रवाई करने वाले बैंक को यह नोटिस बिना किसी पूर्वाग्रह के जारी किया जाता है, क्योंकि यह मामला डीआरटी/कोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमे/मुकदमेबाजी में बैंक के अधिकारों के पक्षपात के बिना हो सकता है।

नोट : इस विज्ञापन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर अंग्रेजी के प्रकाशन को मान्यता दी जायेगी।

दिनांक : 28.05.2021 स्थान-बरेली प्राधिकृत अधिकारी

www.readwhere.com